न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 783/2018

प्रार्थीगण :–

1. रसाल कंवर पत्नि सुखदान जाति चारण निवासी पचपदरा जिला बाडमेर तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

आदेश

दिनांक 26.07.2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए एक्ट का विप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर व्यक्त किया है कि सरहद मौजा पचपदरा पटवार हल्का पचपदरा के कटाण रास्ते से जुडते खेत खसरा संख्या 26 रकबा 12.15 बीघा किस्म बिला मुमकिन में से संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार ख.स.17 तक रास्ता कृषि उपयोग आने जाने एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता हेतु घोषित करवाने चाहते है।

उक्त आशय का प्रार्थनापत्र पेश होने पर विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया। जिस पर विप्रार्थीगण –1 सरकारी पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार पचपदरा से पत्रांक/कंमाक/राजस्व/2018/ 2803 दिनांक 25.7.2018 ने जरिये रिपोर्ट पेश की गयी। जिसमे जाहिर किया कि प्रार्थीनी ग्राम पचपदरा खसरा न0 17 रकबा 20.06.8 बीघा की खातेदारी है। जहां पर खेत मे आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटान रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी के खेत से जुडता हुआ खसरा न0 26 रकबा 12.15 बीघा स्थित है जो वर्तमान जमाबन्दी सवंत (2070–2073) के खाता संख्या 01 के अनुसार बिला कब्जा मुमकिन राजस्थान सरकार के नाम दर्ज सिवाय चक भूमि है। उक्त खसरा संख्या 26 की खसरा संख्या 31 से जुडती हुई माट तक समर्पण शुदा भूमि हेतु रास्ता आता है। ख0न0 26 मे से खसरा न0 17 की प्रार्थीनी की भूमि हेतु रास्ता न्यूनतम दूरी का (प्रार्थीनी द्वारा आवेदित अनुसार 30 फीट चौडाई का) दिये जाने पर खसरा संख्या 26 मे से रास्ते हेतु 0.11.13 (ग्याहर विस्वा तेरह बिस्वासी) भूमि रास्ते उपयोग में आती है। इसके अतिरिक्त ग्राम पचपदरा मे अन्य कोई निकटतम कटान रास्ता नहीं है। प्रस्तावित भूमि की वर्तमान डीएलसी दर 207900/– रूपये प्रतिबीघा है।

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

दिनांक 25.7.2018 की मौका फर्द मे तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट मे जाहिर किया है कि प्रार्थीनी रसाल कंवर के खेत खसरा न0 26 रकबा 12.15 बीघा मे चाहे गये रास्ते का रकबा 0.11.13 बीघा जाने हेतु न्यूनत 30 फीट चौडाई का चाहा गया है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, जमाबन्दी, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द व नजरी नक्शा आदि का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्ष्कष पर पंहुचे है कि प्रार्थीगण द्वारा नया रास्ता की मांग परिशिष्ट 'अ' व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द का नजरी नक्शा मे समानता है। प्रार्थीनी द्वारा रसांलकंवर के खसरा नंबर 26 रकबा 12.15 बीघा से कटान रास्ते तक पंहुचने के लिये खसरा नंबर 26 मे से रास्ता की मॉग की है जो वर्तमान मे चल रहे कटाण रास्ते से जोडा गया है एवं निकटतम रास्ता भी है, जो दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बाद विवेचन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीनी द्वारा खसरा न0 17 मौजा पचपदरा में आवागमन हेतु चाहे गये रास्ता माफिक तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भूमि की बतौर क्षतिपूर्ति भूमि के मुआवजा की राशि रूपये कुल 241164/– अक्षरे रूपये दो लाख ईकतालीस हजार एक सौ चौसट रूपये प्रार्थीनी को राज्य सरकार के खाते में भूमिधारक के यहा जमा करवाने हेतु आदेशित किया जाता है। तदोपरान्त तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीनी के द्वारा राशि जमा करने के बाद माफिक संलग्न नक्शा रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व नक्शे मे तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner